न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 127/2022 बउनवानी प्रेमचन्द गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर/तलावडा
पुत्र श्री शिवलाल गुर्जर निवासी ग्राम टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तहसील गंगापुर सिटी
GCMS No-2022/203

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 2.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसको तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जरिये पत्रांक 164 दिनांक 2.11.2022 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मित्रपुरा को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया:– 1. तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी के द्वारा जारी रजिस्ट्री दिनांक 3.7.2004 को दोपहर 12.59 बजे कम्प्यूटर मे फीड की गयी। उक्त रजिस्ट्री में अंकित आराजी ख0न0 263/15 की नकल नक्शा शीट(कपडा लटठा) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 2. तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी के द्वारा जारी रजिस्ट्री दिनांक 12.10.2004 को 15.40 व 15.49 बजे कम्प्यूटर मे फीड की गयी ।उक्त रजिस्ट्री में अंकित आराजी ख0न0 222/2,223/2,223/5 की नकल नक्शा ट्रेस (कपडा लटठा) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 3. तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी के द्वारा जारी आदेश संख्या 1025–30 दिनांक 25.4.2004 की पालना में जारी किया गया ग्राम टोटोलाई का शुद्वि पत्र में अंकित ख0न00 263/मिन के स्थान पर नवीन ख0न0 678/263 बनाये गये। उसी प्रकार ख0न0 263/15 के स्थान पर जो नवीन ख0न0 जारी किया गया उसकी प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा के जवाब नोटिस क्रमांक /भू.अ./2022/345 दिनांक 3.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार तलावाडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलान्ट को भिजवाया जाना बताया गया है [illegible] प्रस्तुत दस्तावेज से अपीलान्ट को सूचना भिजवाया जाना साबित नही हो रहा है। अतः निर्णय [illegible] प्रति के साथ सूचना की प्रति अपीलान्ट को न्यायालय की ओर से भी भिजवायी जावे। [illegible] निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली [illegible] से कम [illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:39:49 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर